

मिल्कमैन कॉलोनी विकास समिति

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

जनवरी 17, 2007

[न्यायमूर्ति, एस.बी. सिन्हा और न्यायमूर्ति, दलवीर भंडारी]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 21 और 226-शहर में दूध डेयरियों में आवारा मवेशियों के कारण होने वाली अस्वच्छ स्थिति और उपद्रव-उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका रिट याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को मवेशियों को हटाने और दूध डेयरियों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश शहर - डेयरियों के लिए राज्य द्वारा आवंटित वैकल्पिक भूमि - डेयरी मालिकों द्वारा अपने मवेशियों को स्थानांतरित करने और अपनी डेयरियों को स्थानांतरित करने के लिए दिए गए वचन - जब डेयरी मालिकों द्वारा वचनों का पालन नहीं किया जाता है तो उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट को अपने निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया - की शुद्धता - आयोजित, खतरा शहर के निवासियों के स्वास्थ्य और सभ्य जीवन की कीमत पर आवारा मवेशियों की अनुमति नहीं दी जा सकती है - दूध डेयरियाँ वचन देने के बाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती हैं - इसलिए, विभिन्न अंतरिम निर्देश जारी किए गए हैं।

करीब पचास साल पहले एक शहर में दूधियों को रियायती दर पर प्लॉट आवंटित किए गए थे। पिछले कुछ वर्षों में शहर के विस्तार के कारण, दूधवालों की कॉलोनी अब शहर के मध्य में स्थित हो गई है। दूध देने वाले दूध निकालने के बाद अपने मवेशियों को शहर में इधर-उधर भटकने देते थे। शहर के पीड़ित निवासियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि आवारा मवेशी मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहे थे और यातायात के लिए खतरा पैदा कर रहे थे; कि पूरा शहर मवेशियों और आवारा पशुओं के मल से भरा हुआ था जिससे बदबू फैल रही थी; कि मल विभिन्न बीमारियों के लिए प्रजनन स्थल बन गया; परिणामस्वरूप, नालियां बंद नहीं हुईं और सीवरेज का पानी पीने के पानी में नहीं मिल रहा था; कि ये अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ उनके जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थीं और इस तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित उनके संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थीं। दूध डेयरियों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के लिए हाईकोर्ट से निर्देश मांगा गया था।

उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करते हुए, शहर से आवारा मवेशियों को हटाने और शहर के बाहर डेयरियों को स्थानांतरित करने के लिए राज्य और उसके पदाधिकारियों को विभिन्न अंतरिम निर्देश जारी किए। राज्य ने तदनुसार स्थानांतरण के उद्देश्य से भूमि आवंटित की और उच्च न्यायालय के निर्देशों को पूरा करने के लिए आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए धनराशि निर्धारित की। अपीलकर्ता-दुग्ध समाज ने उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाया और तर्क दिया कि राज्य द्वारा आवंटित वैकल्पिक स्थल एक पहाड़ी क्षेत्र था और उनकी डेयरियों के लिए उपयुक्त नहीं था। उपयुक्त स्थान मिलने पर उन्होंने अपनी डेयरियों को स्थानांतरित करने और अपने मवेशियों को भटकने से रोकने की व्यवस्था करने का बीड़ा उठाया। जब कई अवसर दिए जाने के बावजूद

दूधिये निर्देशों का पालन करने में विफल रहे, तो उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट को आवारा मवेशियों को शहर से हटाकर शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी मौजूदा भूमि से बेदखली, जो आवंटन शुल्क स्वीकार करने के बाद राज्य द्वारा आवंटित की गई थी, कानून के तहत होनी चाहिए; कि राज्य द्वारा आवंटित वैकल्पिक भूमि पहाड़ी क्षेत्र में थी और उनके मवेशी उस क्षेत्र में जीवित नहीं रह पाएंगे; और उनके मवेशियों को स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए राज्य द्वारा कोई पुनर्वास सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे किसी अन्य उपयुक्त क्षेत्र में स्थानांतरित होने के लिए तैयार हैं जहाँ भूमि पथरीली नहीं है और उनके मवेशियों के लिए पानी पर्याप्त रूप से उपलब्ध है।

राज्य ने तर्क दिया कि उन्होंने आवश्यक अधिसूचनाएँ जारी करके, वैकल्पिक भूमि आवंटित करके और इस उद्देश्य के लिए धन निर्धारित करके उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया था; अपीलकर्ताओं को अपनी डेयरियों और मवेशियों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पयाप्त अवसर दिए गए थे; अपीलकर्ताओं ने एक विशिष्ट अवधि के भीतर शहर से स्थानांतरित होने के लिए उच्च न्यायालय को एक वचन दिया था; और यह कि अपीलकर्ताओं ने वचन देने के बावजूद न तो अपनी डेयरियाँ और मवेशी स्थानांतरित किए और न ही राज्य के पास अपेक्षित राशि जमा की।

रिट याचिका दायर करने वाले प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं को निर्देश जारी करना पड़ा जब उन्हें अदालत को दिए गए अपने वचनों से मुकरते हुए पाया गया; और यह कि उच्च न्यायालय ने केवल उनकी डेयरियों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया और दूधवालों के भूखंडों के स्वामित्व को प्रभावित करने वाला कोई निर्देश नहीं दिया।

कोर्ट ने अंतरिम निर्देश जारी करते हुए

अभिनिर्धारित किया: 1.1. शहर में अधिकारियों की ओर से बिना किसी रोक-टोक के आवारा मवेशियों का खतरा बढ़ गया है। कानून का पालन करने वाले पीड़ित हैं। यह सब शहर के निवासियों के स्वास्थ्य और सभ्य जीवन की कीमत पर हुआ है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सरकार और उसकी एजेंसियाँ अपने कार्यों और दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरत रही हैं। {पैरा 22} [1071-सी-ई]

वीरेंद्र गौड़ एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, [1995] 2 एससीसी 577; प्रशासक, नगर पालिका बनाम भारत एवं अन्य, [2001] 9 एससीसी 232; एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य, [2004] 6 एससीसी 588; गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरेशी कसाब जमाल और अन्य, [2005] 8 एससीसी 534; मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, उड़ीसा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य, [2006] 3 एससीसी 229 और फ्रेंड्स कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी बनाम उड़ीसा राज्य, [2004] 8 एससीसी 753, संदर्भित।

1.2. शहर के नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन रही दूध डेयरियों को स्थानांतरित करना शहर की सख्त जरूरत है। उच्च न्यायालय के निर्देशों में कोई अवैधता नहीं है, खासकर तब जब उच्च न्यायालय ने मौजूदा भूखंडों के उनके स्वामित्व को प्रभावित करने वाले कोई निर्देश नहीं दिए, हालांकि ये भूखंड उन्हें एक निश्चित

उद्देश्य और बहुमत के लिए अत्यधिक रियायती दर पर आवंटित किए गए थे। दूधवालों ने उस भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जो उन्हें आवंटित की गई थी। [पैरा 25]

1.3. अपीलकर्ता राज्य द्वारा निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही तैयार हो चुके हैं और उन्होंने उक्त उद्देश्य के लिए और अधिक समय मांगा है। शिफ्टिंग के लिए बढ़ाई गई अवधि भी काफी समय पहले बीत चुकी है। इसलिए, दूधियों को एक नई जगह पर स्थानांतरित करने के राज्य के निर्णय पर इस विलंबित चरण में सवाल नहीं उठाया जा सकता है, खासकर जब राज्य ने व्यापक सार्वजनिक हित में विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर निर्णय लिया है। [पैरा 26]

रामीजी पटेल और अन्य बनाम नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच और अन्य, [2000] 3 एससीसी 29, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 246।

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 4409/1994 में जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 12/7/2004 से

साथ

2007 का सी ए नंबर 247।

कैलाश वासुदेव, ए.एम. सिंघवी, राजीव धवन, मुकुल रोहतगी, अरुणेश्वर गुप्ता, अतिरिक्त सहायक महानिदेशक, सूर्य कांत, सुशील कुमार जैन, एच डी थानवी, सरद सिंघानिया, पुनीत जैन (प्रतिभा जैन के लिए), डॉ. मनीष सिंघवी (पी.वी. योगेश्वरन के लिए), ए. मरियारपुथम, मिसेस अरुणा माथुर, मिसेस मिनी एन. नारी (मेसर्स अरुपथम अरुणा एण्ड कंपनी के लिए), नवीन कुमार सिंह, मुकुल सूद, एन.एम. शर्मा, आर.पी. सिंह, मनु मृदुल और अनंत कुमार वत्स्य (टी.वी. रत्नम के लिए) उपस्थित पक्षों के लिए।

अदालत का निर्णय घोषित किया गया था

न्याय., दलवीर भंडारी 1. अनुमति दी गयी।

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत स्थापित एक जनहित याचिका में, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने आक्षेपित निर्णय द्वारा, निर्देश दिया है कि जोधपुर शहर में स्थित दूध डेयरियों को उनके वर्तमान स्थान से वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। विशेष अनुमति की मंजूरी द्वारा ये अपीलें डीबी सिविल विविध में पारित उच्च न्यायालय के 12 जुलाई, 2004 के उक्त निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की जाती हैं। 1994 की रिट याचिका संख्या 4409।

3. ये दोनों अपीलें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए, हम 2004 की एसएलपी (सी) संख्या 16751 से उत्पन्न 2007 की सिविल अपील संख्या 246 में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख करेंगे।

4. अपीलकर्ता-मिल्कमेन कॉलोनी विकास समिति पिछले 44 वर्षों से जोधपुर (राजस्थान) शहर में दूध और दूध उत्पाद बेचने के व्यवसाय में लगे दूधियों का एक संघ है। राजस्थान सरकार ने अधिसूचना संख्या एफ 1 एलएसजी/56 दिनांक 5/11/1956 के तहत एक योजना शुरू की, जिसका नाम है, 'मसूरिया कॉलोनी योजना', जिसके तहत अपीलकर्ता समिति के सदस्य और अन्य दूधवाले, जो दूध बेचने का व्यवसाय कर रहे थे और दुग्ध उत्पादों को जोधपुर शहर में 2 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से भूमि के भूखंड आवंटित किए गए। उक्त योजना के तहत सरकार द्वारा विभिन्न दूधियों को डेयरी विकसित करने के लिए कुल 332 भूखंड आवंटित किए गए थे। उक्त दूधिये 1956 से उक्त कॉलोनी में दूध एवं दुग्ध उत्पाद बेचने का व्यवसाय करते आ रहे हैं। उक्त कॉलोनी की विधिवत कल्पना और योजना राज्य सरकार की मंजूरी से शहरी सुधार ट्रस्ट, जोधपुर द्वारा एक मिल्कमैन कॉलोनी के रूप में बनाई गई थी।

5. ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर शहर में गोवंशीय पशुओं के मालिक गोवंशीय पशुओं को दूध देने के बाद उन्हें डेयरियों से बाहर कर रहे थे ताकि वे सड़कों पर जो कुछ भी उपलब्ध था उसे खा सकें। जोधपुर शहर में और शहर के प्रमुख सरकारी अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल के बरामदे में गाय, बैल, कुत्ते आदि सहित आवारा मवेशी खुलेआम घूमते हैं। आगे कहा गया है कि इन जानवरों का मल उच्च न्यायालय के गलियारों में भी दिखाई देता था। यह पूरी तरह से अस्वास्थ्यकर, अस्वास्थ्यकर और हानिकारक प्रथा जोधपुर शहर के नागरिकों के लिए काफी परेशानी पैदा कर रही थी।

6. शहर के नागरिकों ने, आवारा मवेशियों और कुत्तों के कारण होने वाले उपद्रव से व्यथित होकर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के राजस्थान चैप्टर, प्रतिवादी संख्या 4 के माध्यम से राजस्थान के उच्च न्यायालय, जोधपुर में जनहित में एक याचिका दायर की। 1946 में स्थापित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक लॉयर्स से जुड़े और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, यूनेस्को और यूनिसेफ के साथ परामर्शदात्री स्थिति में)

7. याचिका में कहा गया था कि आवारा जानवर, जैसे बैल, कुत्ते और मवेशी शहर के अंदर और बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। जोधपुर शहर की सड़कों पर मवेशी घूमते और बैठे पाए गए और वे मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहे थे और यातायात के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। याचिका में कहा गया है कि पूरा शहर गंदगी से भरा हुआ था, हद से ज्यादा बदबू आ रही थी और आवारा मवेशियों का मल विभिन्न बीमारियों के लिए प्रजनन स्थल था। नालियाँ जाम हो गई थीं और सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिल रहा था जिससे कई बीमारियाँ फैल रही थीं। ये अस्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर प्रचलित स्थितियाँ जोधपुर शहर में रहने वाले निवासियों के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं और इस तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित उनके संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। रिट याचिका में निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की गई थी:

1. प्रतिवादी जोधपुर नगर निगम और शहरी सुधार ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देना कि जानवर और मवेशी सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर बाधा न डालें और इस संबंध में उचित व्यवस्था करें;

2. यह सब किया जाए इसकी देखरेख के लिए, प्रतिष्ठित नागरिकों की एक समिति नियुक्त करना, ऐसी समिति को यह देखने के लिए अधिकृत करना:

- (i) कि उपरोक्त निर्देश प्रभावी हो गए हैं;
- (ii) लोगों से शिकायतें प्राप्त करना; और
- (iii) वास्तविक शिकायतों को पूरा करने के लिए उचित निर्देश देना; और
- (iv) उत्तरदाताओं को इस संबंध में पूर्वोक्त समिति के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाए;
- (v) शहर को स्वच्छ बनाने, सीवरेज प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए तत्काल कदम उठाना;
- (vi) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए, यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकार को प्रतिवादी नगर निगम को धन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए।

उच्च न्यायालय के समक्ष कहा गया कि समय के साथ जोधपुर शहर बहुत घना हो गया है, इसलिए जोधपुर शहर की सड़कों से आवारा जानवरों के खतरे को खत्म करना आवश्यक है। उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी आग्रह किया गया था कि जब मिल्कमैन कॉलोनी बनाई गई थी तो वह कमोबेश शहर के बाहर थी, लेकिन अब शहर के विस्तार के कारण यह शहर के मध्य में है। विस्तार का मुख्य कारण जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि है। इसलिए, डेयरियों को जोधपुर शहर से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश मांगा गया था।

8. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए, अपने आदेश दिनांक 23/1/2003 के तहत कुछ निर्देश जारी किए, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

- (i) नगर निगम, जोधपुर डेयरियों को शहर से स्थानांतरित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और उन्हें राज्य की सहायता से शहर के बाहरी इलाके और परिधि या शहर की सीमा से परे स्थानांतरित करेगा।
- (ii) नगर निगम सड़कों से आवारा मवेशियों को गौशालाओं या पावापुरी में संस्थानों सहित आवारा मवेशियों को आश्रय प्रदान करने के लिए बनाए गए संस्थानों में स्थानांतरित करेगा।
- (iii) सड़कों से आवारा मवेशियों, सांडों और कुत्तों को हटाने और उन्हें आश्रय आदि में स्थानांतरित करने के लिए, नगर निगम जानवरों को पकड़ने और स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों और वाहनों को सेवा में लगाएगा।
- (iv) जोधपुर शहर में स्थित मवेशियों एवं पशुओं के गले में एक टैग नंबर बंधा होगा। टैग नंबर उस व्यक्ति के नाम और पते का सूचक होना चाहिए जिसका जानवर है ताकि उनके मालिकों का पता लगाने में कोई कठिनाई न हो। इस निर्देश का पालन मवेशियों और जानवरों के मालिक व्यक्ति(ओं) द्वारा किया जाएगा। शर्त का कार्यान्वयन नागरिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- (v) ऐसे मवेशियों और जानवरों के पाए जाने पर उनके मालिकों के खिलाफ विभिन्न दंड प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सड़कों और सड़कों पर बिना निगरानी के।

(vi) नगर निगम सड़कों और गलियों में पाए जाने वाले आवारा मवेशियों और जानवरों को पकड़ने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त करेगा। एक बार जब वे पकड़े जाते हैं, तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और मालिकों को 500 रुपये के जुर्माने का भुगतान करने और यहां उल्लिखित अन्य निर्देशों के अधीन रिहा किया जा सकता है।

(vii) जिन वाहनों का उपयोग जब्त किए गए मवेशियों और जानवरों को ले जाने के लिए किया जाता है, उन्हें चोट लगने की संभावना से बचने के लिए रैंप से सुसज्जित किया जाएगा।

(viii) आवारा मवेशियों और जानवरों का पारगमन और रख-रखाव उनकी सुरक्षा और उन्हें होने वाली चोटों की रोकथाम प्रदान करने वाले कानूनों के अनुरूप होगा, जिसमें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 भी शामिल है।

(ix) शहर में संचालित होने वाली अनधिकृत डेयरियों की विद्युत आपूर्ति तत्काल प्रभाव से काट दी जाएगी।

(x) उपरोक्त क्रम संख्या (ix) के निर्देश शहर के भीतर स्थित संगठित और अनधिकृत डेयरियों पर भी लागू होंगे, यदि वे इस आदेश द्वारा उन्हें दिए गए समय के भीतर शहर से बाहर स्थानांतरित होने में विफल रहते हैं। ऐसी डेयरियों को जिस स्थान पर स्थानांतरित किया जाना है, वह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन सप्ताह के भीतर चिन्हित किया जाएगा।

(xi) नगर निगम, जोधपुर उपरोक्त क्रम संख्या (vi) में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने द्वारा एकत्र किए गए जुर्माने का विवरण दर्ज करेगा।

(xii) जोधपुर शहर की सड़कों को 31 मार्च 2003 तक आवारा सांडों एवं घूमने वाले पशुओं से मुक्त कर दिया जायेगा।

(xiii) नगर निगम द्वारा प्रत्येक कैलेंडर माह की 15 तारीख तक आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(xiv) राज्य सरकार उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में नगर निगम, जोधपुर की सहायता करेगी। इसमें वित्तीय सहायता शामिल होगी, जो जोधपुर नगर निगम को इस आदेश में निहित निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक होगी।

(xv) नगर निगम, जोधपुर के मुख्य निष्पादन अधिकारी दो अधिकारियों को नामांकित करेंगे, जो इस न्यायालय के निर्देशों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

उपरोक्त निर्देश न केवल जोधपुर नगर निगम, उसके पदाधिकारियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम द्वारा नामित अधिकारियों को बाध्य करेंगे, बल्कि यह राज्य सरकार और उसके पदाधिकारियों और विद्युत आपूर्ति कंपनियों पर भी समान रूप से बाध्यकारी होंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित

अधिकारियों और पदाधिकारियों की विफलता पर संविधान के अनुच्छेद 215 और न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी।"

9. उपरोक्त याचिका दिनांक 06/1/2004 को पुनः उच्च न्यायालय के समक्ष विचार हेतु आयी। उस दिन, न्यायालय ने पाया कि कलेक्टर, जोधपुर ने आदेशों का पालन किया था और जोधपुर शहर से डेयरियों को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से शहरी सुधार ट्रस्ट को 2500 बीघा जमीन आवंटित की थी। राज्य सरकार ने नगर निगम को (i) आवारा मवेशियों को पकड़ने; (ii) उनके परिवहन के लिए; और (iii) आवारा मवेशियों के लिए चारे की खरीद के लिए। कलेक्टर ने नगर निगम को काली बेरी, सूर सागर, जोधपुर में तालाब निर्माण हेतु 500 बीघा भूमि उपलब्ध करायी। न्यायालय ने आगे निम्नलिखित निर्देश जारी किये:

“हम निर्देश देते हैं कि जिन डेयरी मालिकों/संचालकों को पाल रोड पर मिल्कमेन कॉलोनी में जमीन आवंटित की गई थी या जो अब शहर की सीमा के भीतर काम कर रहे हैं, उन्हें नए क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए जो कलेक्टर द्वारा शहरी सुधार ट्रस्ट को उपलब्ध कराया गया है। इस प्रयोजन के लिए, शहरी सुधार ट्रस्ट डेयरी संचालकों को नए क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए 30 दिन का समय प्रदान करेगा। नए क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए डेयरी संचालकों को अपेक्षित राशि नगर सुधार न्यास के पास जमा करानी होगी। यदि डेयरी संचालक उक्त 30 दिन के भीतर धनराशि जमा नहीं करते हैं तो नगर निगम द्वारा उनकी डेयरियों को सील कर दिया जाएगा तथा गोवंशीय पशुओं को जब्त कर लिया जाएगा।

नगर निगम को आज से दो माह की अवधि में काली बेरी, सूर सागर, जोधपुर में तालाब विकसित करने के भी निर्देश दिये गये हैं। तालाब के विकास के लिए आवश्यक धनराशि का 75% राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जाएगा।

10. 10/2/2004 को, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले पर फिर से सुनवाई की जब अपीलकर्ता समिति को एक आवश्यक पक्ष होने के नाते मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई। समिति के वकील ने कहा कि दूधियों की कॉलोनी को बरली में स्थानांतरित किया जा रहा है, जो एक पहाड़ी क्षेत्र है और जो गोजातीय पशुओं के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने समिति के विद्वान वकील के इस तर्क को निम्नानुसार खारिज कर दिया:

“प्रतिवादियों के वकील ने हमें बताया कि विशेषज्ञों की राय के बाद विचाराधीन क्षेत्र का चयन किया गया है कि भूमि मिल्कमेन कॉलोनी की स्थापना के उद्देश्य से उपयुक्त है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, हम कुछ व्यक्तियों की ओर से हमारे आदेश को बाधित करने के प्रयासों की अनुमति नहीं देंगे। दूधियों और डेयरी मालिकों को बरली में स्थानांतरित होना चाहिए और बाद में, यदि यह पाया जाता है कि उनके लिए कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, तो केवल उस स्थिति में कलेक्टर को उन्हें कुछ अन्य भूमि आवंटित करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या में दूधवाले हैं और वे

शहर में जमे हुए हैं। यह आश्चर्य की बात है कि डेयरी मालिक गोवंशीय पशुओं को दूध देने के बाद उन्हें बाहर फेंक देते हैं ताकि वे सड़कों पर जो कुछ भी उपलब्ध हो, खा सकें। गोवंशीय पशु अपनी भूख मिटाने के लिए प्लास्टिक तक खा लेते हैं। एक बार जब प्लास्टिक उनके सिस्टम में चला जाता है, तो यह उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाता है और उनमें से कुछ की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन ये डेयरी मालिकों की चिंता का विषय नहीं है। हालाँकि लोग गाय को माता मानते हैं फिर भी उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है वह बेहद कठोर और क्रूर होता है। डायरी मालिकों को शहर से निर्धारित क्षेत्र में स्थानांतरित न करने का कोई औचित्य नहीं है।

(जोर दिया गया)

11. उपरोक्त आदेश पारित करने के बाद, उच्च न्यायालय ने मामले को 11 मार्च, 2004 तक के लिए स्थगित कर दिया, जिस तारीख को नगर निगम की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और दूधवालों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपने बयान दिए। 11 मार्च 2004 का आदेश इस प्रकार है:

“नगर निगम की ओर से पेश वकील का कहना है कि काली बेरी में छह सप्ताह की अवधि के भीतर तालाब बनाया जा रहा है। मिल्कमैन की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का कहना है कि पूरा मिल्कमैन समुदाय स्वयं ही दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएगा। उनका कहना है कि उनके मुवक्किल इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने और दो सप्ताह के भीतर वर्तमान स्थल से स्थानांतरित होने का वचन देते हैं। यदि दूधवाले वचन का पालन नहीं करते हैं, तो नगर निगम आदेश के अनुपालन में डेयरियों को जब्त कर लेगा। 12. उपरोक्त मामला 14/5/2004 को एक बार फिर उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया। उस दिन, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कुछ समय मांगा ताकि वे मवेशियों और बैलों को सड़कों पर जाने से रोकने की व्यवस्था कर सकें। उन्होंने निम्नलिखित अभ्यास करने का बीड़ा उठाया:

“(i) जोधपुर में सभी गोजातीय पशुओं पर न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप टैग होंगे;

(ii) मिल्कमैन कॉलोनी के चारों ओर दीवार के निर्माण का काम सही ढंग से शुरू किया जाएगा;

(iii) बैल सहित कोई भी गोजातीय जानवर सड़कों पर नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उसे दूधवालों द्वारा पकड़कर नगर निगम को सौंप दिया जाएगा।

13. विद्वान वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने दूधवालों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 10 दिन का समय दिया। उच्च न्यायालय ने पशुओं को सड़कों पर घूमने से रोकने में दूधवालों द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया।

14. अंततः, उपरोक्त मामला 12 जुलाई 2004 को उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जब उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित किया:

“हमने पाया है कि 14 मई, 2004 के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। दूधियों को शहरी क्षेत्र से स्थानांतरित होने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया क्योंकि गोवंशीय जानवर शहर में उपद्रव मचा रहे हैं।

जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि आवारा जानवरों के कारण होने वाली सार्वजनिक परेशानी को दूर किया जाए और दिनांक 6/1/2004 के आदेश के अनुरूप गोजातीय जानवरों को शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे। नगर निगम आदेश का अनुपालन कराने में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करेगा।

नगर निगम और यूएलटी एक तालाब का निर्माण करने और बरली में स्थानांतरित होने वाले दूधियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे।

15. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, ये अपीलें इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

16. इस न्यायालय के समक्ष अपीलों में, कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय द्वारा दूधियों को उस भूमि से बेदखल करने के निर्देश जारी करना उचित नहीं था, जो आवंटन शुल्क स्वीकार करने के बाद सरकार द्वारा उन्हें दूध डेयरियों के उद्देश्य से आवंटित की गई थी; कि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम या सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना, दूधियों को भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित करना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था; उच्च न्यायालय का इस तथ्य को न मानना उचित नहीं था कि दूधियों के मवेशियों और बैलों को स्थानांतरित करने के लिए आवंटित भूमि एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित थी और मवेशियों को स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए अधिकारियों द्वारा कोई पुनर्वास सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थीं; और वह, उच्च न्यायालय

इस तथ्य पर विचार न करके गलती की गई कि दूधियों द्वारा अपने मवेशियों को सड़कों पर आने से रोकने के लिए की गई प्रगति की निगरानी के लिए गठित समिति जानवरों को स्थानांतरित करने की वास्तविक समस्याओं को समझने में विफल रही, खासकर विशेषज्ञ की रिपोर्ट के संदर्भ में। बरली एक पहाड़ी क्षेत्र था और गायें तथा अन्य जानवर जीवित नहीं रह पाते थे। आगे यह तर्क दिया गया कि दूधवाले दूधवाले कॉलोनी को स्थानांतरित करने के लिए तैयार थे यदि उनके लिए कोई उपयुक्त क्षेत्र निर्धारित किया गया था, जहां भूमि चट्टानी नहीं थी और उनके मवेशियों के लिए पानी पर्याप्त रूप से उपलब्ध था। यदि ऐसी उपयुक्त जगह उन्हें आवंटित की जाती है, तो वे इस न्यायालय द्वारा दिए गए उचित समय के भीतर उस जगह पर चले जाएंगे। वे इस न्यायालय के निर्देशानुसार राशि भी जमा करेंगे। अपीलकर्ताओं के वकील ने आग्रह किया कि राज्य सरकार को बड़ली के स्थान पर जोधपुर शहर में किसी अन्य स्थान जैसे सालावास, पुरानी पाली रोड पर उपयुक्त भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया जाए।

17. राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत और निष्पक्ष था और इसे जोधपुर के निवासियों के सभी वर्गों की सभी परिस्थितियों और हितों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद पारित किया गया था। नीलकमेन को जोधपुर शहर से स्थानांतरित होने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। यह कहा गया था कि अपीलकर्ता समिति के सदस्यों को 1956 में दूध डेयरियों के निर्माण के लिए नाममात्र दरों पर भूखंड आवंटित किए गए थे। आवंटन पत्र में एक शर्त थी कि आवंटियों को जारी किए गए प्रकार के डिजाइन के अनुसार निर्माण करना होगा। . हालाँकि, दूधवालों द्वारा टाइप डिजाइन के अनुसार कोई निर्माण नहीं किया गया था। अधिकांश दूधियों ने दूध डेयरियों के लिए बने भूखंडों पर मकान और दुकानें बना ली हैं। दूधवाले अपने मवेशियों को सड़कों पर आवारा छोड़ रहे थे, जिससे सार्वजनिक उपद्रव, दुर्घटनाएं आदि हो रही थीं। आगे यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि दूधवालों को पर्याप्त अवसर दिए गए थे। जोधपुर शहर से स्थानांतरित होने के लिए और उनकी ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष एक विशिष्ट वचन भी दिया गया था कि वे एक विशिष्ट अवधि के भीतर जोधपुर शहर से स्थानांतरित हो जाएंगे। हालाँकि, वे न तो क्षेत्र से हटे और न ही सरकार के पास अपेक्षित राशि जमा की। दूसरी ओर, सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पहले ही साइट पर एक तालाब विकसित कर लिया था, अपीलकर्ता समिति की दलील बिना किसी आधार के थी कि भूमि को अब तक विकसित नहीं किया जा सका है।

18. राज्य के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान नगर निगम, जोधपुर के कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 20/7/2004 की सार्वजनिक सूचना और शहरी सुधार ट्रस्ट, जोधपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/7/2004 की ओर आकर्षित किया, जो इस प्रकार है अंतर्गत:

“कार्यालय नगर निगम, जोधपुर। क्रमांक रिट/आवारा मवेशी/ 04/एसपी3

दिनांक: 20/7/2004

सार्वजनिक नोटिस

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में आवारा पशुओं से संबंधित एक रिट याचिका संख्या 4409/94 विचाराधीन है। इस रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर आदेश पारित किये गये जिसमें पाया गया कि जोधपुर शहर में सड़कों, कालोनियों, बस्तियों आदि में गोवंश आवारा अवस्था में विचरते हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने नगर विकास न्यास को आदेश दिए हैं कि शहर में पशु डेयरियों के लिए बड़ली क्षेत्र में भूखंड आवंटित किए जाएं, जिसमें वर्तमान में शहर में जो पशु डेयरियां हैं, उन्हें उस क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए। इस प्रयोजन के लिए मवेशी के मालिक को मवेशी के मालिक/मवेशी के संरक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और फिर इन व्यक्तियों द्वारा नगर विकास न्यास में भूखंड आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने प्लॉट आवंटन के लिए ऐसे आवेदन दिए थे और उनमें से ट्रस्ट द्वारा 6/1/2004 को प्लॉट आवंटित कर दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने वर्तमान में शहर में मौजूद डेयरी मालिकों को अन्यत्र स्थानांतरित करने तथा नगर विकास न्यास को आवेदन देकर भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन करने के आदेश पारित किये हैं। निगम को यह आदेश जारी किया गया है कि जो पशु मालिक अपनी डेयरियां शहर से बाहर नहीं ले जा रहे हैं, उन्हें सील कर दिया जाये। माननीय उच्च न्यायालय ने 12/7/2004 को आदेश पारित किया कि सभी पशुपालन मालिकों को शहर से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाये। अतः सभी

पशुपालकों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर अपने पशुओं को नगर निगम की सीमा से बाहर स्थानांतरित/स्थानांतरित कर लें, ऐसा न करने पर जिला प्रशासन की सहायता से अपने पशुओं को स्थानांतरित/स्थानांतरित करने की कार्यवाही करें। निगम की सीमा से बाहर और खर्च जानवरों के मालिकों से वसूला जाएगा। उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की जायेगी।

एसडी/- मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नगर निगम, जोधपुर"

"शहरी सुधार न्यास कार्यालय, जोधपुर।"

क्रमांक 1348

दिनांक: 23/7/2004 अधिसूचना

सभी पशुपालकों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में ट्रस्ट द्वारा योजना तैयार की गई है जो न्यू/नई मिल्कमेन कॉलोनी ग्राम बड़ली में खरास नंबर 88 में है जिसके लिए आवेदन पत्र ट्रस्ट कार्यालय से 7 दिवस के अन्दर प्राप्त कर पूर्ण करना होगा। ये फॉर्म ट्रस्ट के कार्यालय में जमा करवाने होंगे, जिसके तहत पशुपालकों को भूखंड वितरण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। भूखंडों के आवंटन के नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं।

(1) आवेदक का पशुपालन का प्रमाण पत्र जो कि निगम जोधपुर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना आवश्यक है।

(2) बयाना राशि के रूप में 1000 रुपये (एक हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट सचिव, नगर विकास ट्रस्ट, जोधपुर के नाम से संलग्न किया जाना चाहिए।

(3) भूखण्ड आवंटन का आदेश प्राप्त कर 30 दिवस के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करानी होगी। आरक्षित दर पर आवंटन किया जायेगा।

(4) इस योजना में कॉर्नर भूखंडों का निरस्तीकरण नहीं किया जाएगा। आवंटन पर राजस्थान नगर विकास के क्रियान्वयन नियम 1974 लागू किये जायेंगे।

(5) आवंटित भूखण्ड का उपयोग केवल पशुपालन हेतु किया जायेगा तथा आवंटिती द्वारा अपने आवंटित भूखण्ड में पशुपालन को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाये।

एसडी/-

उपरोक्त अधिसूचनाओं की पृष्ठभूमि में, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि प्रतिवादी राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया है। अपीलकर्ता समिति के सदस्य उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे और इसलिए, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

19. प्रतिवादी संख्या 4, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के राजस्थान चैप्टर, जिन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, ने भी वर्तमान अपीलों को इस आधार पर खारिज करने की मांग की कि अपीलकर्ता समिति ने स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष यह वचन देना चुना कि दूधवाले थे मिल्कमैन कॉलोनी से अपनी डेयरियां स्थानांतरित करने के इच्छुक हैं और इस उद्देश्य के लिए मितकमेन ने बार-बार उच्च न्यायालय से समय मांगा है। उच्च न्यायालय ने पाया कि दूधवाले अपने वादे से मुकर रहे हैं और वे जोधपुर शहर से स्थानांतरित होने के लिए तैयार हैं और इसके बाद उच्च न्यायालय ने सरकार को जोधपुर शहर से दूध डेयरियों को स्थानांतरित करने के संबंध में अपने पहले के आदेशों का पालन करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के बाद ही दूधवाले इस कोर्ट में आये हैं। आगे यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि दूधवालों को आवंटित भूखंडों से वंचित किया जाएगा। केवल डेयरियों को जोधपुर शहर से बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने कभी भी मिल्कमैन कॉलोनी में दूधवालों के भूखंडों के स्वामित्व को प्रभावित करने वाला कोई निर्देश नहीं दिया, जो अब विस्तार के बाद शहर के मध्य में आते हैं। उच्च न्यायालय के निर्देश व्यापक जनहित और स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण की सुरक्षा पर आधारित हैं।

20. वीरेंद्र गौड़ और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में [1995] 2 एससीसी 577 में रिपोर्ट की गई, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के स्टॉकहोम घोषणा, 1972 के सिद्धांत संख्या 1 का जिक्र करते हुए, इस न्यायालय ने देखा कि रहने का माहौल अनुकूल है। मानव अस्तित्व जीवन का अधिकार है। इस संबंध में राज्य का कर्तव्य है कि वह अपनी असाधारण बेलगाम संप्रभु शक्ति को त्यागे और पारिस्थितिक संतुलन और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए अपनी नीति बनाए। जहां क्षेत्रीय योजना में, एक भूमि को चिह्नित किया गया है और पार्क या मनोरंजन उद्देश्य के लिए आरक्षित किया गया है, उसे भवन निर्माण उद्देश्य के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है, हालांकि आवास एक सार्वजनिक उद्देश्य है। इसके अलावा, यह देखा गया कि यद्यपि सरकार के पास निर्देश देने की शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग केवल अनुमोदित योजना, क्षेत्रीय योजनाओं आदि के लक्ष्यों को प्रभावित करने और आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए और योजना के तहत निहित या योजना के तहत आरक्षित भूमि नहीं होगी इसके तहत परिकल्पित क्षेत्र के भीतर किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।

21. हालांकि यह सच है कि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आधार पर जोधपुर शहर से दूध डेयरियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है और इससे समाज के कुछ लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है लेकिन एकमात्र उद्देश्य, वस्तु और आदेश की भावना सामुदायिक आवश्यकता को पूरा करना था। स्वच्छ परिवेश से स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का निर्माण होता है। अधिनियम की संपूर्ण योजना, उद्देश्य और उद्देश्य के आलोक में जनहित को समझना और व्याख्या करना होगा। न केवल अवैध उपनिवेश क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों बल्कि पूरे

शहर के स्वास्थ्य और पर्यावरण के खतरे के साथ-साथ अधिनियम के प्रावधानों और योजना को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। [देखें: प्रशासक, नगर पालिका बनाम भारत और अन्य की रिपोर्ट [2001] 9 एससीसी 232 में।]

22. ऊपर दिए गए तथ्यों से और पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने पर, स्पष्ट रूप से, जोधपुर शहर में अधिकारियों की ओर से बिना किसी रोक-टोक के आवारा मवेशियों का खतरा बढ़ गया है। दूध डेयरियां विकसित करने के लिए बनाए गए भूखंड बड़े व्यावसायिक घराने बन गए हैं। जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर उल्लंघन जारी है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उन लोगों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं था, जिन्हें कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और कारण स्पष्ट हैं। ऐसी गतिविधियों के परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त भार पड़ता है। सारी प्लानिंग चौपट हो गई है। कानून का पालन करने वाले पीड़ित हैं। यह सब शहर के निवासियों के स्वास्थ्य और सभ्य जीवन की कीमत पर हुआ है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सरकार और उसकी एजेंसियाँ अपने कार्यों और दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरत रही हैं। सरकार द्वारा निष्क्रियता अप्रत्यक्ष रूप से अनधिकृत उपयोग की अनुमति देने के समान है जो उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मास्टर प्लान में संशोधन के समान है। [देखें: एम सी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य की रिपोर्ट [2004] 6 एससीसी 588 में दी गई है।]

23. गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरेशी कसाब जमात और अन्य में [2005] 8 एससीसी 534 में रिपोर्ट की गई, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

“176. ..न्यायालय को समाज के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की उत्साहपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही मौलिक अधिकारों और समाज के व्यापक हितों के बीच संतुलन भी बनाना चाहिए। लेकिन जब इस तरह का अधिकार देश के व्यापक हितों से टकराता है तो उसे बाद वाले के सामने झुकना होगा। इसलिए, जहां भी निदेशक सिद्धांतों की उन्नति के लिए कोई अधिनियम बनाया जाता है और यह मौलिक अधिकारों के विपरीत होता है, तो इसमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए यदि यह व्यापक सार्वजनिक हित को बढ़ावा देता है।

24. दुग्ध उत्पादक संघ, उड़ीसा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य में [2006] 3 एससीसी 229 में रिपोर्ट की गई, इस न्यायालय ने नगर नियोजन और दूध डेयरियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के प्रश्न पर विचार किया। उस मामले में, इस न्यायालय ने उस कानून पर विचार किया जो इस न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों में निर्धारित किया था। प्रासंगिक पैरा इस प्रकार उद्धृत किया गया है:

“17. यह प्रश्न फ्रेंड्स कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में विचार के लिए आया था, जिसकी रिपोर्ट [2004] 8 एससीसी 733 में दी गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने कहा था:

“.. संपत्ति के मालिक के रूप में व्यक्तियों को समुदाय की शांति, अच्छी व्यवस्था, गरिमा, सुरक्षा और आराम और सुरक्षा हासिल करने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। न केवल गंदगी, बदबू और अस्वास्थ्यकर स्थानों को खत्म करना होगा, बल्कि इलाके को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने के लिए लेआउट पारिवारिक मूल्यों, युवा मूल्यों, एकांत और स्वच्छ हवा को प्राप्त करने में मदद करता है। भवन निर्माण नियम आग के खतरों को कम करने या

समाप्त करने, यातायात खतरों से बचने और सड़कों और सड़कों पर यातायात की भीड़ को कम करने में भी मदद करते हैं। जोनिंग और बिल्डिंग नियमों को सामुदायिक विकास के नियंत्रण, भूमि की भीड़भाड़ की रोकथाम, पार्क और खेल के मैदानों जैसी मनोरंजक सुविधाओं की व्यवस्था और पर्याप्त पानी, सीवरेज और अन्य सरकारी या उपयोगिता सेवाओं की उपलब्धता के दृष्टिकोण से भी वैध बनाया गया है। ”

25. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पार्टियों की ओर से दिए गए तर्कों और केस कानून पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हमारी राय है कि जनहित में दायर रिट याचिका पर विचार करना उच्च न्यायालय के लिए पूरी तरह से उचित था। उच्च न्यायालय ने सही राय दी कि जोधपुर शहर के नागरिकों के लिए परेशानी पैदा करने वाली दूध डेयरियों को फिर से बहाल करना जोधपुर शहर की सख्त जरूरत है। हमें उच्च न्यायालय के निर्देशों में कोई अवैधता नहीं मिली, खासकर तब जब उच्च न्यायालय ने मौजूदा भूखंडों के उनके स्वामित्व को प्रभावित करने वाला कोई निर्देश नहीं दिया था, हालांकि ये भूखंड उन्हें अत्यधिक रियायती दर (2 रुपये प्रति वर्ग गज) पर आवंटित किए गए थे।) एक निश्चित उद्देश्य के लिए और अधिकांश दूधवालों ने उस भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जो उन्हें आवंटित की गई थी।

26. अब जिस बात पर विचार करना बाकी है वह बरली के अलावा किसी अन्य स्थान पर दूध डेयरियों के स्थानांतरण के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई याचिका है। हमारी राय है कि अपील समिति इस याचिका पर विलंब से विचार नहीं कर सकती। दूधवाले पहले ही उच्च न्यायालय के समक्ष राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित होने का वादा कर चुके हैं और उक्त उद्देश्य के लिए और समय मांगा है। शिफ्टिंग के लिए बढ़ाई गई अवधि भी काफी समय पहले बीत चुकी है। राजस्थान सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह पर जमीन चिन्हित कर आवंटित कर दी है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर, राजस्थान सरकार ने पहले ही न्यू मिल्कमेन कॉलोनी में बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मद्देनजर कई दूधियों को भूखंड आवंटित किए गए हैं। समुदाय के लिए क्या अच्छा है, इसका सबसे अच्छा निर्णय सरकार ही करती है। इसलिए, दूधवालों को एक नई जगह पर स्थानांतरित करने के सरकार के निर्णय पर इस स्तर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, खासकर जब राज्य सरकार ने व्यापक जनहित में विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर निर्णय लिया है।

27. राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि राज्य ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सभी कदम उठाए हैं और डेयरियों को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से शहरी सुधार ट्रस्ट, जोधपुर को 2500 बीघा जमीन उपलब्ध कराई है। जोधपुर शहर. राज्य सरकार ने नगर निगम को खर्चों को पूरा करने के लिए 50,00,000 रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई है—

- (i) आवारा मवेशियों को पकड़ना;
- (ii) उनके परिवहन के लिए; और
- (iii) आवारा मवेशियों के लिए चारे की खरीद के लिए।

कलेक्टर, जोधपुर ने नगर निगम को काली बेरी, सूर सागर, जोधपुर में एक तालाब के निर्माण के लिए \$00 बीघा भूमि उपलब्ध कराई है। प्रतिवादी राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि और धन का उपयोग सावधानीपूर्वक उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।

28. [2000] 3 एससीसी 29 में रिपोर्ट किए गए रामजी पटेल और अन्य बनाम नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच और अन्य में, इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि ऐसी स्थिति में जहां समुदाय का हित शामिल है, व्यक्तिगत हित को हित के आगे झुकना चाहिए समुदाय या आम जनता का।

29. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हमारे सुविचारित विचार में, आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

30. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, जोधपुर के नागरिकों के व्यापक हित में, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

1. हम उन डेयरी मालिकों/संचालकों को निर्देश देते हैं, जिन्हें पाल रोड पर मिल्कमैन कॉलोनी में भूमि आवंटित की गई थी। , लेकिन अभी भी एक नई कॉलोनी में स्थानांतरित होने के लिए शहर की सीमा के भीतर काम करना जारी रख रहे हैं, जो उन्हें प्रतिवादी राज्य द्वारा यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी घटना में 31 मार्च, 2007 को या उससे पहले उपलब्ध कराया गया है;

2. अन्य दूध डेयरी मालिक/संचालक जो डेयरियां चला रहे हैं और जोधपुर शहर में अपनी मवेशी रख रहे हैं, लेकिन उन्हें जमीन आवंटित नहीं की गई है, वे भी 30 अप्रैल, 2007 को या उससे पहले अपनी डेयरियां और अपने मवेशियों को जोधपुर शहर से बाहर स्थानांतरित कर देंगे। राजस्थान राज्य और जोधपुर नगर निगम को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि डेयरी मालिकों/संचालकों को डिवीजन बेंच के निर्देशानुसार आवश्यक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए, यदि पहले से उपलब्ध नहीं कराया गया है;

3. जोधपुर नगर निगम को निर्देशित किया जाता है कि वह जोधपुर शहर से लावारिस आवारा जानवरों, जैसे आवारा मवेशी, बैल, कुत्ते, सूअर आदि को यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में 30 अप्रैल, 2007 को या उससे पहले हटा दे;

4. प्रतिवादी राज्य सरकार को राज्य में प्लास्टिक बैग के उचित उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया है क्योंकि प्लास्टिक बैग खाने के कारण मवेशियों की मौत की संख्या की सूचना मिली है। राज्य सरकार को 31 मार्च, 2007 को या उससे पहले आवश्यक दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया जाता है;

5. नगर निगम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक बैग और अन्य प्लास्टिक सामग्री को अन्य कचरे से अलग किया जाना चाहिए और मवेशियों, बैलों और अन्य जानवरों द्वारा उनके उपभोग को रोकने के लिए नष्ट कर दिया जाना चाहिए;

6. प्रतिवादी राज्य सरकार और निगम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि दूध डेयरी मालिकों/संचालकों को बुनियादी ढांचा यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में 25 मार्च, 2007 को या उससे पहले उपलब्ध कराया जाए;

7. इस न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने और दूध डेयरियों के स्थानांतरण को सुनिश्चित करने के लिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति को 7 मई, 2007 को या उससे पहले अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं। .

31. इन अपीलों को 14 मई, 2007 को आगे के निर्देशों के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

अपीलें 14/5/2007 के लिए स्थगित कर दी गईं।

आशीष तिवारी की देखरेख में शशांक त्रिवेदी द्वारा अनुवादित।